



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 618]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 23, 2015/चैत्र 2, 1937

No. 618]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 23, 2015 /CHAITRA 2, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2015

(सं. 1/2015)

का.आ. 812(अ).—आयकर अधिनियम, 1961, वित्त अधिनियम, 1992 और वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2014 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत के राजपत्र (असाधारण) में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण (आय कर) की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक पीठ और मुंबई में एक नई पीठ सहित दो अतिरिक्त पीठों के सृजन को अधिसूचित करती है।

[फा. सं. क्यू. 20015/6/2014-प्रशा.1ग (एएआर)]

उदय सिंह कुमावत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th March, 2015

(No. 1/2015)

S.O. 812(E).—In exercise of the powers conferred under the Income Tax Act, 1961, the Finance Act, 1992 and the Finance (No. 2) Act, 2014, the Central Government hereby notifies the creation of two additional benches of the Authority for Advance Rulings (Income Tax) including one at National Capital Region (NCR) and one new bench at Mumbai, with effect from the date of publication of this notification in the Gazette of India (Extraordinary).

[F. No. Q. 20015/6/2014-SOAd.IC (AAR)]

UDAI SINGH KUMAWAT, Jt. Secy.

1347 GI/2015